अधिसूचना सं 51/2014-सीमाशुल्क (एन.टी.)   नई दिल्ली, तारीख 11 जुलाई, 2014

सा.का.नि....(अ) केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 28ङ के खंड (ग) के उपखंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "निवासी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी" को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए व्यक्तियो के वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

स्स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए—

(क) "प्राइवेट लिमिटेड कंपनी" का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (68) में "प्राइवेट कंपनी" का है ;

(ख) "निवासी" का वही अर्थ होगा जो आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 6 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 2 के खंड (42) में है ।

[फा.सं. 334/15/2014-टीआरयू]

(प्रमोद कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार